

**भारत सरकार**  
**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 1708**  
**बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**पीएम-कुसुम के घटकों के अंतर्गत परिवर्तन**

**1708. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक-क के अंतर्गत अब तक निर्धारित लक्ष्यों/प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने पीएम-कुसुम के घटक-क के अंतर्गत 0.5 मेगावाट की न्यूनतम क्षमता में कोई परिवर्तन/वृद्धि की है जिसके कारण किसानों के अंशदान में वृद्धि के परिणामस्वरूप सौर संयंत्रों की स्थापना में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इसकी न्यूनतम क्षमता को कम करने का विचार है;
- (घ) पीएम-कुसुम के घटक-क के अंतर्गत कितने किसानों ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं और उनकी क्षमता कितनी है: और
- (ङ.) पीएम-कुसुम के घटक-ग के अंतर्गत कितने किसानों के सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड पर स्थापित किए गए हैं?

**उत्तर**  
**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**  
**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

- (क) पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग एवं उनके द्वारा की गई प्रगती के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के अंतर्गत स्वीकृत क्षमताएं एवं स्थापना के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।
- (ख) और (ग) पीएम-कुसुम योजना घटक-क के अंतर्गत सौर विद्युत संयंत्रों के लिए न्यूनतम क्षमता में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत 638.99 मेगावाट क्षमता के कुल 557 सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है, जिससे किसान लाभान्वित हुए हैं।
- (ङ.) राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम-कुसुम योजना के घटक-ग के अंतर्गत 2557.57 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है जिसके फलस्वरूप 5.89 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषी पंपों का सौरीकरण हुआ और किसान, दिन के दौरान सुनिश्चित सौर ऊर्जा से लाभान्वित हुए हैं।

**अनुलग्नक-1**

‘पीएम-कुसुम के घटकों के अंतर्गत परिवर्तन’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1708 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

पीएम कुसुम योजना के घटक-क के तहत आवंटित एवं स्थापित क्षमताओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे  
(दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटक-क (मेगावाट में)	
		स्वीकृत	स्थापित
1	असम	2.00	0.00
2	छत्तीसगढ़	330.00	7.00
3	गोवा	50.00	0.00
4	गुजरात	500.00	0.00
5	हरियाणा	158.00	14.61
6	हिमाचल प्रदेश	100.00	100.00
7	मध्य प्रदेश	1,790.00	52.13
8	महाराष्ट्र	260.00	4.00
9	ओड़िशा	90.00	0.00
10	राजस्थान	5,250.00	457.25
11	तमिलनाडु	14.00	3.00
13	तेलंगाना	1,450.00	0.00
13	त्रिपुरा	5.00	0.00
14	उत्तर प्रदेश	1.00	1.00
	<b>कुल</b>	<b>10,000.00</b>	<b>638.99</b>

\*\*\*\*\*